/ 418

संख्या–1340 / II–2015–03(30)/2011

प्रेषक,

आनन्द वर्द्धन
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 04 जुलाई, 2015

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु राज्य सैक्टर के अन्तर्गत आयोजनागत मदों में धनावंटन विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1372/मु0अ0वि0/बजट/बी–1 सामान्य दिनांक 08 अप्रैल, 2015 एवं पत्र संख्या 1579/मु0अ0वि0/बजट/बी–1सामान्य दिनांक 30 मई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर की सलंग्न विवरणानुसार आयोजनागत मदों में उल्लिखित प्राविधान के सापेक्ष उनके सम्मुख अंकित कुल धनराशि ₹ 150.00 लाख (₹ एक करोड पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर साथ रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यों में ही किस्तों में किया जायेगा।

(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(v) जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(vi) स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(vii) उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(viii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः.....2

(ix) विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(x) त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2016 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(xi) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 आयोजनागत मद के अन्तर्गत **संलग्नक** में उल्लिखित लेखाशीर्षक/उप लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3 धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या S दिनांक से आवंटित की जा रही है। धनराशि के उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01.04.2015 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल 2015 में चालू योजनाओं/चालू निर्माण कार्यो हेतु दी गयी व्यवस्था के आधार पर निर्गत किए जा रहे है।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(आनन्द वर्द्धन)
सचिव।

संख्या–1484 (1)/ II–2015–03(30)/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, दे0दून ।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
(3) निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
(4) निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
(5) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
(6) निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
(7) वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
(8) वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
(9) नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(10) बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
(11) निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
(12) सम्बन्धित सिंचाई खण्ड द्वारा मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई, उत्तराखण्ड।
(13) गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(चन्दन सिंह रावत)
अनु सचिव।

शासनादेश सं0 1424(2)/II-2015-03(30)/2011, दिनांक 4/7/2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क0स0	लेखाशीर्षक /योजना का नाम	प्राविधानित बजट	बजट के सापेक्ष मॉग का विवरण
1	जनपद हरिद्वार की नहरों की विशेष मरम्मत (20/2701-14-101-02-02-29)	6.00	6.00
2	आवासीय/अनावासीय भवनों का अनुरक्षण (20/2701-15-101-02-01-29)	5.00	5.00
3	जमरानी बांध परियोजना (20/4701-01-800-01-01-24) प्राविधान 50.00 (20/4701-01-800-02-01-24) प्राविधान 50.00	100.00	100.00
4	मशीनरी तथा उपसकर (20/4701-00-052-03-00-26)	6.00	6.00
5	प्रशिक्षण कार्यकम (20/4701-80-003-03-00-24)	33.00	33.00
	योग	150.00	150.00

(₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र)

(चन्दन सिंह रावत)
अनु सचिव।